अनुपस्थिति मे वाद खारीज हुआ है यदि प्रार्थनापत्र 07 R.11 स्वीकार कर दिया जावेगा तो वादी न्याय से वंचित रह जाएगा। जिसकी ताईद मे RRT 2016(1387) भंवर सिंह बनाम भगवान सिंह वगैरह रेवेन्यू बोर्ड राज. अजमेर की नजीर पेश की। अन्त मे निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 0.7 R.11 सी. पी. सी. का खारीज किया जावे।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर का सम्मान करते है, परन्तु प्रस्तुत नजीर मे वर्णित परिस्थितियाँ एवं तथ्यो की इस वाद से सुसंगतता नही है एवं इस वाद मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 को खारीज किया जाय इस तथ्य को बल नही मिलता है।

अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस अनुसार यह सिद्ध है कि इन्ही पक्षकारो के मध्य इन्ही तथ्यो के आधार पर प्रकरण संख्या 57/2010 वाद इस न्यायालय द्वारा खारीज किया गया है यह वाद इन्ही तथ्यो के आधार पर पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत किया गया है जो विधि द्वारा वर्जित है। यह वाद पश्चातवर्ती वाद है व समान पक्षकार, समान वाद हेतुक होने से अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे 0.7 R.11 के प्रार्थना पत्र पर सटीक साबित होती है जिससे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सी. पी. सी. का स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सी. पी. सी. का स्वीकार किया जाता है। व यह प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का मूल वाद 20/2018 खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस डी ओ) कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भल
जिला-राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2019.12.30 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested